संख्या:111/2023/497जे०/22-5-23-300(97)/2017

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

विषय- जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी रोशन सिंह पुत्र श्री लोलारक सिंह के उपचार हेतु धनराशि रू0 4,80,000/- (रू0 चार लाख अस्सी हजार मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25717/सामा-1(5)/बं0चि0धना0- रोशन सिंह/2023, दिनांक 11-08-2023 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-84/2023/370जे०/22-5-23-300(97)/2017, दिनांक 04-09-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी रोशन सिंह पुत्र श्री लोलारक सिंह का उपचार सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल, आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी में कराये जाने हेतु धनराशि रू० 4,80,000/- (रू0 चार लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-28810/सामा-1(5)/बं0चि0धना0-रोशन सिंह/2023, दिनांक 19-09-2023 में प्राप्त सूचना अनुसार प्रश्नगत बंदी के मा0 न्यायालय के आदेशानुपालन में दिनांक 06.09.2023 को कारागार से रिहा किया जा चुका है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तथ्यों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी रोशन सिंह पुत्र श्री लोलारक सिंह का उपचार कराये जाने हेतु धनराशि रू० 4,80,000/- (रू0 चार लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-84/2023/370जे०/22-5-23-300(97)/2017, दिनांक 04-09-2023 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव। --2

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:111/2023/497जे0(1)/22-5-23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जौनपुर ।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, जौनपुर ।
5- वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है